न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-2237-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.12.2006 पारित द्वारा तहसीलदार पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 12/अ-12/2006-07

प्रेमचन्द्र तनय फूलचन्द्र जैन
निवासी - पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

श्रीमती मनोजदेवी पत्नी सूरज सिंह यादव
निवासी - मजरा मकारा तह. निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

आदेश

(आज दिनांक 6/6/18 **को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 12/अ-12/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2006 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम पृथ्वीपुर स्थित भूमि खसरा नं. 990/2/5, 990/2/8, 990/2/10 रकवा 0.350 हे. में से 0.017 हे. का सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार पृथ्वीपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा दिनांक

13.12.2006 को विधिवत सीमांकन किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि राजस्व निरीक्षक पृथ्वीपुर ने दिनांक 07.12.06 को भेजे अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लेख किया है कि अनावेदक के तीनों खसरा नं. की तरमीम मौके पर नहीं की जा सकती है जब यह स्थिति नक्शा की थी तो अनावेदक का मकान किस आधार पर लेख कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक के परस्पर विरोधी प्रतिवेदन को मान्य करने से उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि मौके पर तरमीम नहीं की जा सकती है। जब यह स्थिति थी तो पंचनामा पर उक्त अनावेदक के तीनों नंबरों का सीमांकन किस आधार पर किया गया है यह पंचनामा में लेख नहीं है, जिससे भी उक्त आदेश निरस्ती योग्य है।

4. अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह निगरानी लगभग 9 वर्ष से अधिक समय उपरांत पेश की गई है। जानकारी के संबंध में समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है अत: यह निगरानी निरस्त की जाए।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के 13.12.2006 के विरुद्ध दिनांक 05.07.2016 को पेश की गई है। विलंब के संबंध में यह कहा गया है कि उक्त् निर्णय की जानकारी दिनांक 27.06.2016 को प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा आवेदक एवं अनावेदक के बीच चल रहे विवाद के दस्तावेज देखकर हुई है, परंतु इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है कि उन्हें आलोच्य आदेश की जानकारी कब और किस प्रकरण में उनके अधिवक्ता द्वारा दी गई। संबंधित अधिवक्ता का कोई

शपथ-पत्र भी पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा जानकारी का स्त्रोत बताया गया है, वह समाधानकारक नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विलंब के प्रकरणों में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है जो इस प्रकरण में नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि वाह्य होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर